## <u>न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)</u> { समक्ष-अमनदीपसिंह छाबडा }

<u> </u>	
A SI	<u>आप0प्रक0 क—1329ध्2015</u>
	<u>फाईलिंग नं. 234503015512015</u>
and the same	<u>संस्थित दिनांक—30 / 12 / 2015</u>
मध्यप्रदेश शासन द्वारा 🔷 🔨 📈	
आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
ू रू <u>विरुद</u>	
14 (108)	
1.तुगेश बिसेन पिता बिहारीलाल, उम्र 35 वर्ष,	
2.सुरेन्द्र बिसेन पिता बिहारीलाल, उम्र 41 वर्ष,	
दोनों जाति पवांर, निवासी खरपड़िया	
थाना परसवादा जिला बालाघाट (म प्र )	आरोपीगण

## 

- (01) आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 353/34, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—25.12.2015 को दोपहर 03:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम खरपड़िया में लोकस्थान पर फरियादी मन्नुलाल खरे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरों को क्षोभ कारित कर फरियादी जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- (02) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.15 को एम.पी.ई.बी. स्टॉफ राजस्व वसूली हेतु खरपड़िया गया हुआ था। विद्युत सर्विस क. 7384253212 तथा 73029054789 जिसमें सुरेन्द्र बिसेन से 4,525 / रूपये एवं तुगेश बिसेन से 10,130 / रूपये मांगने पर देने से इंकार किये तथा लाईन काटने से मना किये और दोनों ने एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुये मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर साक्षी लाईनमेन को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 135 / 15 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

- (03) आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 353/34, 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत मन्नुलाल खरे ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506(भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—353/34 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।
- (04) आरोपी के विरूद्ध निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
  - (01) क्या आरोपीगण ने दिनांक—25.12.2015 को दोपहर 03:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम खरपड़िया में फरियादी मन्नुलाल खरे जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

अभियोजन साक्षी मन्नूलाल (अ.सा.०1) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 25.12.2015 दिन के समय ग्राम खरपडिया की है। घटना के समय वह अपने सहायक स्टाफ के साथ विद्युत विभाग की वसूली हेतु ग्राम खरपड़िया गया हुआ था। वहां वसूली की बात पर आरोपीगण से उसका मौखिक विवाद हुआ था। उन लोगों की समझाईश पर आरोपीगण चले गये। बाद में उसने ध ाटना की शिकायत थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी. 02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 25.12.2015 को वह हमराह स्टाफ रघुनाथ, शहजाद, शेषलाल, राकेश एवं योगेन्द्र के साथ शासकीय वाहन से राजस्व वसूली हेत् ग्राम खरपड़िया गया था, तो वहां आरोपीगण तुगेश व सुरेश द्वारा बिजली बिल का बकाया जमा करने की बात पर गाली-गलीच किया गया तथा आरोपी तुगेश ने गाड़ी से मोहारे लाईनमेन एवं योगेन्द्र की कॉलर पकड़कर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई, आरोपीगण ने कटी लाईन को जुडवाया और शासकीय कार्य में बाधा डाली तथा स्थिति खराब होने से थाने में सूचना दी गई। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग का कथन पढकर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन

कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उनका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

- अभियोजन साक्षी रघुनाथ (अ.सा.०२) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 25.12.2015 दिन के समय ग्राम खरपडिया की है। घटना के समय वह लोग विद्युत विभाग की वसूली हेतू ग्राम खरपडिया गये हुए थे। वहां वसूली की बात पर आरोपींगण से उन लोगों का मौखिक विवाद हुआ था। उन लोगों की समझाईश पर आरोपीगण चले गये। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 25.12.2015 को वह हमराह स्टाफ मन्नुलाल, शहजाद, शेषलाल, राकेश एवं योगेन्द्र के साथ शासकीय वाहन से राजस्व वसूली हेतू ग्राम खरपडिया गये थे, तो वहां आरोपीगण तुगेश व सुरेश द्वारा बिजली बिल का बकाया जमा करने की बात पर गाली-गलीच किया गया तथा आरोपी तुगेश ने गाड़ी से उसकी एवं योगेन्द्र की कॉलर पंकडकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई, आरोपीगण ने कटी लाईन को जुड़वाया और शासकीय कार्य में बाधा डाली तथा स्थिति खराब होने से थाने में सूचना दी गई। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र. पी.04 का ए से ए भाग का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उनका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
- (07) फरियादिया मन्नूलाल (अ.सा.1) एवं अभियोजन साक्षी रघुनाथ (अ.सा.02) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—03 में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उनका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह लोग उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस प्रकार प्रकरण में मन्नूलाल(अ.सा.01) ने आरोपीगण द्वारा उसे जो लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने संबंधी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण के फरियादी ने स्वयं विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन की सम्पूर्ण कथा संदेहास्पद हो जाती है। आरोपीगण को आरोपित अपराध से संलग्न किए जाने के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचना एवं अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन

आरोपीगण के विरूद्ध विचारणीय बिन्दू युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। परिणामतः आरोपीगण तुगेश बिसेन एवं सुरेन्द्र बिसेन को धारा—353 / 34 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- (08) अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- (09) प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबडा) प्रथम बालाघाट स्वासिक्तिया विविद्यां स्वासिक्तिया विविद्यां स्वासिक्तिया विविद्यां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,